

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 8331

दिनांक 29-7-19


--: स्वीकृति आदेश :-

विषय : नगर निगमों को वर्ष 2019-20 में माह जुलाई 2019 (एक माह) के लिए चुंगी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

राज्य के नगर निगमों को राज्य सरकार द्वारा चुंगी समाप्ति की घोषणा के पश्चात् होने वाली हानि के पुनर्भरण हेतु माह जुलाई 2019 (एक माह) के लिये राशि रुपये 7950.52 लाख में से पेंशन फण्ड की राशि रुपये 62.96 लाख की कटौती के बाद शेष राशि रुपये 7887.56 लाख (अक्षरे रुपये अठहत्तर करोड़ सत्यासी लाख छप्पन हजार मात्र) संलग्न सूची के अनुसार नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

विकलेय मद	बजट प्रावधान		
मांग संख्या - 29	स्वीकृत प्रावधान	-	राशि 95406.34 लाख
2217- शहरी विकास	स्वीकृत प्रावधान (एक तिहायी)	-	राशि 31802.11 लाख
80 - सामान्य	पूर्व स्वीकृति पर व्यय	-	राशि 23851.59 लाख
191 - नगर निगम को सहायता	विभागीय स्तर पर कटौति	-	राशि 62.96 लाख
(03) - विशेष अनुदान - प्रतिबद्ध	इस स्वीकृति पर व्यय	-	राशि 7887.56 लाख
[00]			
12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)			

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 171900539 दिनांक 22.07.2019 के क्रम में जारी की गई है।



(उज्जवल राठौर)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 8332-81 दिनांक 29-7-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, मा0मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ भिजवाकर निवेदन है कि राशि सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में माह के अन्तिम कार्य दिवस को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें। वित्त विभाग की टिप्पणी के क्रम में आरयूआईडीपी आदि की बकाया राशि की कटौतियां राज्य वित्त आयोग अनुदान से की जावेगी।

06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर ।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा, राज0 जयपुर ।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर ।
09. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर ।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर ।
12. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर ।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर ।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया स्वीकृति में अंकित कॉलम संख्या 7 में अंकित राशि माह जुलाई 2019 में माह के अन्तिम कार्य दिवस को सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में जमा करें ताकि एक तारीख को राशि आहरित की जा सके । माह की 07 तारीख तक नगरीय निकाय कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों के भुगतान हेतु नियमानुसार चैक पारित करे तथा शेष राशि माह की अन्तिम तारीख तक आगामी माह के लिये राशि निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित होने पर भुगतान करे । समस्त कोषाधिकारी इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखे कि कॉलम संख्या 7 में अंकित राशि से अधिक राशि इस स्वीकृति के अन्तर्गत निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित नहीं की जावे । यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित करें कि पूर्व में इस स्वीकृति से आहरित राशि से कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान कर कटौतियों की राशि सम्बन्धित मदों में जमा करा दी गयी है ।
16. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कॉलम संख्या 7 में आवंटित राशि अन्तिम कार्य दिवस को संस्था के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण करवाकर आगामी माह की 07 तारीख तक प्रथमतः वेतन एवम् भत्तों के भुगतान एवं कर्मचारियों की कटौतियों को जमा कराने हेतु राशि आहरित करें तथा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को भिजवावें । साथ ही अगला चैक पारित करवाने से पूर्व कोषाधिकारी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि पूर्व में आहरित की गयी राशि में से कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा कटौती की राशि सम्बन्धित लेखों में जमा करवा दी गयी है ।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर ।
18. समस्त अधिकारीगण/बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय ।
19. प्रभारी वेबसाईट/प्रभारी ई-गवर्नेन्स/ समन्वयक, सी.एम.ए.आर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
20. सुरक्षित पत्रावली ।


 (अंजु गोयल)
 वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार


स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर निगमों को आवंटित चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि की द्वितीय किश्त

(राशि लाखों में)

क्रम संख्या	नाम नगर निगम	श्रेणी	वर्ष 2019-20 में आवंटन योग्य सकल राशि	माह जुलाई 2019 हेतु आवंटित राशि	माह जुलाई 2019 की अनुदान राशि से पेंशन फण्ड की कटौति	शुद्ध राशि माह जुलाई 2019 हेतु अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	कोष कार्यालय, जयपुर शहर (1108)					
1	जयपुर	निगम	36851.47	3070.95		3070.95
	कोष कार्यालय, जोधपुर शहर (1117)					
2	जोधपुर	निगम	10728.71	894.06	9.33	884.73
	कोष कार्यालय, कोटा (1118)					
3	कोटा	निगम	18140.58	1511.71		1511.71
	कोष कार्यालय, अजमेर (1091)					
4	अजमेर	निगम	8318.86	693.24		693.24
	कोष कार्यालय, बीकानेर (1099)					
5	बीकानेर	निगम	4934.94	411.25	53.63	357.62
	कोष कार्यालय, उदयपुर (1128)					
6	उदयपुर	निगम	11256.54	938.04		938.04
	कोष कार्यालय, भरतपुर (1097)					
7	भरतपुर	निगम	5175.24	431.27		431.27
	योग		95406.34	7960.52	62.96	7887.56

(अक्षरे अठहत्तर करोड़ सत्यासी लाख छप्पन हजार मात्र)


(उज्जवल रावत)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(77)वित्त-1(1)आय व्ययक/2018
कोषाधिकारी,
जयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा,
अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।

दिनांक : 02.08.2019

(स्वीकृति संख्या 167 /2019-20)

विषय : वर्ष 2019-20 में नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर की स्वीकृति क्रमांक.प6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/8331-81 दिनांक 29.07.2019 में अंकितानुसार सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रुपये 7887.56 लाख (अक्षरे अठहत्तर करोड़ सत्यासी लाख छप्पन हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे।

मांग संख्या - 29

2217- शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगम को सहायता


(03) - विशेष अनुदान - प्रतिबद्ध

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) - राज्य निधि

राशि रुपये 7887.56 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय


(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
9. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)